न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 107/2021 बउनवानी राजकुमार नावरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर पुत्र श्री रमेश चन्द नावरिया, नि0 ग्राम व पोस्ट मलारना डूँगर

GCMS No-2021/301

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

15.12.2021

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.9.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्रीमान पूर्व उपजिला कलेक्टर श्री रघुनाथ खटीक द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की जमीन जिसके पुराना खाता संख्या 866 नया खाता संख्या 507 एवं नामा0 संख्या 5305 दिनांक 20.9.2019 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की जमीन को प्रार्थी के कुटुम्ब कबीलो के खाते लगाने वास्ते पूर्व उपजिला कलेक्टर श्री रघुनाथ खटीक द्वारा झूठा परिवाद नियम विरूद्व विधि प्रावधानों के खिलाफ दर्ज कर आपके कार्यालय मे संचालित है। इसे कब तक खारिज करेगें जिसकी प्रमाणित सूचना या श्रीमान जी आप भी पूर्व उपजिला कलेक्टर श्री रघुनाथ खटीक की तरह से प्रार्थी के कुटुम्ब कबीलो के खाते लगाऐगें जिसकी भी प्रमाणित सूचना तथा इस प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण फाईल नोटिस की सूचना।
2. श्रीमान जी पूर्व उपजिला कलेक्टर श्री रघुनाथ खटीक द्वारा अबतक उनके कार्यालय में कितने खाता धारको की जमीन की नियम विरूद्व कितने व्यक्तियों के खाते लगा चुके उन सभी सूची नाम पते सहित की प्रमाणित सूचना।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःसूकाअ/2021/2953 दिनांक 02.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 2 पर चाही सूचना प्रश्नात्मक एवं रिकार्ड पर संधारित नही होने के कारण सूचना क्रियेट करने का प्रावधान नही होने के कारण सूचना क्रियेट कर दिये जाने का प्रावधान नही होने के कारण अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 2681 दिनांक 12.10.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत 30.9.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने व चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने तथा सूचना से संबंधित रिकार्ड संधारित [illegible] के कारण सूचना क्रियेट कर दिये जाने का प्रावधान नही है। इसलिए [illegible] उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट [illegible] की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested